न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1409

1. कृपाशंकर मीणा पुत्र प्रहलाद जाति मीणा, निवासी प्रतापपुरा तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं ने मुकदमा संख्या 94/2025 निर्णय दिनांक 17.04.2025 उनवानी सरकार बनाम माया देवी वगै0 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 26.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 17.04.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 30.05.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 17.04.2025 को पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम चारणवास उर्फ सुलतानसर से बीड़ की सीमा तक जाने वाला प्रचलित रास्ता जो भूमि खसरा नम्बर 310/212, 307/212, 308/212, 309/212, 321/212, 211, 203, 210, 204, 297/199, 199, 298/199, 194, 193 में स्थित है, को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत प्रतापपुरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा सहित उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 17.04.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2025 पारित किये गये है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 17.04.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट कृपाशंकर मीणा पुत्र प्रहलाद द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 17.04.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नही किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही किया जाता। मौजूदा प्रकरण में अपीलांट भूमि खसरा नम्बर 211 रकबा 1.62 है0 का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अंकित है, भूमि पर उनका कब्जा है तथा भूमि का वो उपयोग उपभोग करता है। उपरोक्त भूमि में उसने रहवास हेतु मकान बना रखा है लेकिन इसके बाजवूद तहसीलदार झुन्झुनूं (राज०) ने बिना किसी आधार के बिना कोई रास्ता हुए कुछ व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये मिलीभगत कर रंजिश पूर्वक कार्यवाही करवाई है। उक्त तथ्य पर उपखण्ड अधिकारी ने कोई ध्यान नही दिया और अपीलांट की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि तहसीलदार झुन्झुनूं (राज०) द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी वो किसी विधिक आधार पर आधारित नही थी बल्कि पडौसी खातेदारों के दबाव व प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट तहसीलदार से बनवाई गई थी तथा प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर उपखण्ड अधिकारी से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जबकि मौके पर अपीलांट की भूमि में से कभी कोई रास्ता नही रहा है तथा ना ही कभी मौके पर कायम अपीलान्ट की भूमि खसरा नं0 211 में रास्ता है तथा जहाँ उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिखाया गया है वहाँ मौके पर कोई रास्ता नही है। अन्यथा भी किसी खातेदार के खेत में से बिना किसी आधार के अनेकों रास्ते कायम नही किये जा सकते। उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज कर व तहसीलदार द्वारा बनाई गई गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलान्ट की भूमि मे से जो रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट मे दर्शाया गया है उस रास्ते का कोई वजूद नही है। इसके बावजूद हल्का पटवारी व तहसीलदार की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त रास्ता कायम कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज०) ने अपने आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अंकन करते हुए उसके अनुसार निर्णय पारित किया है, जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में कही भी यह अंकन नही है, कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व में प्रचलित हुए बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान हो। उसके बावजूद राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र में अंकित तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया है कि अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कभी कोई रास्ता नही रहा इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्यों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए अपीलान्ट की भूमि में से एक नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये है जो पूर्णता औचित्यहीन है जिसका केवल मात्र उद्देश्य अपीलार्थी की भूमि में से रंजिशवश प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलार्थी की खातेदारी समाप्त करना है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थी की भूमि खसरा नं0 211 के बीचों बीच में से रास्ता कायम किया तथा अपीलार्थी की भूमि को तीन भागों में विभाजित कर दिया है जो एक खातेदार की खातेदारी अधिकारों के पूर्णतया विपरीत है तथा मौके पर उक्त रास्ते का कभी कोई वजूद नही रहा अन्य पड़ोसी खातेदार व अपीलार्थी स्वयं भी अपीलार्थी की भूमि की सीमा से लगते हुए 14 किलोमीटर के दायरे मे फैले हुए बीड की भूमि मे से रास्ते का उपयोग उपभोग करते है तथा उसी रास्ते का उपयोग उपभोग अन्य कई खातेदार करते है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया तथा मनमाने तरीके से बिना कोई रास्ता हुए अपीलार्थी की भूमि मे से जबरन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नही थी जिससे लेशमात्र से भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व से कोई प्रचलित रास्ता रहा हो या वर्तमान मे कोई रास्ता आवागमन के रूप में काम में आ रहा हो। इसके बाजवूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि मे से रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का कोई अवलोकन नहीं किया जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है, कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम करवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा। उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (ए) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो उसकी प्रति सबंधित खातेदार को दी जावेगी तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी, तहसीलदार झुन्झुनूं (राज०) व उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज०) द्वारा उपरोक्त विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में कही यह अंकन नही किया कि उक्त खसरा नम्बरों में जो रास्ता कायम किया जा रहा है उसकी चौड़ाई कितनी होगी तथा उसकी लम्बाई कितनी होगी तथा प्रभावित खातेदार की भूमि में उसके खातेदारी अधिकार प्रभावित किये जा रहे है जबकि मौजूदा प्रकरण में रास्ते की चौडाई लगभग 20 फीट निर्धारित की गई है जो कतई विधिसम्मत नही है क्योंकि खेतों में जाने का रास्ता 20 फुट चौडा नही होता है लेकिन हल्का पटवारी व तहसीलदार व अन्य व्यक्तियों ने मिलीभगत कर उक्त रास्ते को 20 फुट के रूप मे दर्शाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.04.2025 की अपीलार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। दिनांक 28.05.2025 को वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रतिलिपि निकलवाई जिसमें नामांतरकरण सं0 430 प्रक्रियाधीन अंकित किया हुआ था जिसके पश्चात हल्का पटवारी से जानकारी की तो उपरोक्त प्रकरण की जानकारी हुई जिसके पश्चात उपरोक्त खसरा नम्बर की नक्शाशीट की प्रति निकलवाई जिसमें उपरोक्त रास्ते का अंकन था। तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने हल्का पटवारी से संपर्क किया तथा उक्त नक्शाशीट में कायम रास्ते के बारे में जानकारी की व हल्का पटवारी ने अपीलार्थीगण को बताया कि उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 17.04.2025 की पालना व प्रभाव में उपरोक्त रास्ता कायम किया गया है। तत्पश्चात अपीलार्थी ने नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है।

प्रार्थी अपील में वर्णित खसरा नं0 211 रकबा 1.62 है0 राजस्व ग्राम चारणवास उर्फ सुल्तानसर तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज०) वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अंकित है भूमि पर उसका कब्जा है। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं ने बिना प्रकरण में पक्षकार बनाये उनकी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये है। इसलिये प्रार्थी के उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2025 से उसके अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे है इसलिये उसे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। न्यायहित में उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज०) द्वारा पारित उपरोक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा भी उक्त क्षेत्राधिकार विहिन आदेश व शून्य प्रभावी आदेश से प्रार्थी के भूमि में खातेदारी अधिकार समाप्त कर दिये है। इसलिये उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाकर उसे निरस्त करवाया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं (राज.) द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2025 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 17.04.2025 को पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम चारणवास उर्फ सुलतानसर से बीड़ की सीमा तक जाने वाला प्रचलित रास्ता जो भूमि खसरा नम्बर 310/212, 307/212, 308/212, 309/212, 321/212, 211, 203, 210, 204, 297/199, 199, 298/199, 194, 193 में स्थित है, को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत प्रतापपुरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंषा सहित उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 17.04.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2025 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.04.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। सरपंच, ग्राम पंचायत, प्रतापपुरा ने भी उक्त प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की सहमति एवं अनापत्ति प्रदान की गयी है। उक्त प्रस्तावित रास्ता चारणवास से देव नारायण मंदिर (मालाराम गुर्जर की ढाणी) तक जोडता है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.04.2025 में किसी प्रकार कां हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.04.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति० संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर